

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 159/11

संस्थापन दिनांक:-16/06/11

फाईलिंग नं. 233504000482011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. नानेश्वर पिता सम्पत इंगले, उम्र 35 वर्ष  
निवासी अंधारिया, थाना आमला  
जिला बैतूल (म.प्र.)
2. सतीष पिता सीताराम मांग, उम्र 20 वर्ष
3. सनी उर्फ सचिन पिता सीताराम मांग उम्र 24 वर्ष  
क. 2 व 3 निवासी नवापुर  
थाना भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 22.12.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.06.2011 को दिन के 11:00 बजे फरियादी गणेश के घर गोविंद कॉलोनी वार्ड नं. 07 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी की उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 02.06.2011 को जेवर छुड़ाने की बात पर से अपनी बहन की रिपोर्ट की थी। करीब 11:30 बजे जब वह अपने घर पहुंचा तो तीनों अभियुक्तगण उसके घर में घुस गये और तू बहुत रिपोर्ट कर रहा है कहकर तीनों ने हाथ से उसे दांयी कनपटी पर मारा। तीनों ने उसके घर में रखा टीवी, गोदरेज की कांच, गैस चूल्हा तोड़ दिया जिससे उसे करीब चार हजार रुपये का नुकसान हुआ। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 156/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 323/34, 427 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 452 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 02.06.2011 को दिन के 11:00 बजे फरियादी गणेश के घर गोविंद कॉलोनी वार्ड नं. 07 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी की उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

#### **विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

6 गणेश (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब वह थाने से रिपोर्ट करके घर आया था तब घर पर अभियुक्तगण उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे और घर में रखा सामान तोड़फोड़ कर रहे थे। रंजना (अ.सा.-2) ने भी यह बताया है कि घटना घर के अंदर के 10-11 बजे की है। अभियुक्तगण घर के अंदर आये थे और मारपीट कर घर का सामान तोड़फोड़ दिये थे।

7 गणेश (अ.सा.-1) एवं रंजना (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वे जिस घर में रहता है वह उनके पिता के नाम पर है। गीता गणेश की बहन है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जिस घर में विवाद हुआ था उस घर में उसकी बहन का भी बराबर हक हिस्सा है। गीता की बेटी का नाम राजकुमारी है और अभियुक्त सतीश राजकुमारी का पति है जो कि रिश्ते में उनका दामाद लगता है। इस सुझाव को गलत बताया है कि वे गीता को मकान में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। स्वतः कहा पहले ही हिस्सा दे दिया है।

8 प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण किसी भी अन्य साक्षी को अभियोजन के द्वारा आहूत नहीं करवाया गया है। गणेश (अ.सा.-1) एवं रंजना (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त सतीश रिश्ते में उनका दामाद लगता है। अन्य अभियुक्तगण के संबंध में साक्षीगण ने कोई भी स्पष्ट कथन नहीं किये हैं। चूंकि अभियुक्त सतीश फरियादी पक्ष का दामाद होने के कारण किसी भी समय वह घर के अंदर आ जा सकता है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के मध्य एक पारिवारिक विवाद होना दर्शित हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने उपहति कारित करने की तैयारी के साथ फरियादी गणेश के घर के अंदर प्रवेश किया हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 02.06.2011 को दिन के 11:00 बजे फरियादी गणेश के घर गोविंद कॉलोनी वार्ड नं. 07 थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी की उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। फलतः अभियुक्तगण नानेश्वर, सतीष एवं सनी उर्फ सचिन को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)